



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

05 अपराधियों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

दिनांक:-25.11.2022

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद में गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये अपराध करने में अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के क्रम में थाना रामकोट व कमलापुर पुलिस द्वारा लूट/चोरी/अवैध शराब विक्रय/परिवहन/निर्माण/अवैध शस्त्र रखने जैसे अपराधों में संलिप्त कुल 05 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तगण की अपराध से अर्जित सम्पत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही अलग से की जाएगी। विवरण निम्नवत् है-

थाना रामकोट- थाना रामकोट पुलिस द्वारा अवैध शराब निर्माण/विक्रय/परिवहन/अवैध शस्त्र रखने जैसे अपराध में संलिप्त 03 अभियुक्तों 1.सुजीत पुत्र सोबरन 2.कुलदीप पुत्र सोबरन 3.सोबरन पुत्र जगनू निवासीगण गद्दीपुर थाना कोतवाली देहात सीतापुर के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। थाना रामकोट द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर मु0अ0सं0 606/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त शातिर अपराधी है, जिनके विरुद्ध उक्त कृत्यों के संबंध में अभियोग पंजीकृत है। संलिप्त अभियुक्तगण की अपराध से अर्जित सम्पत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही अलग से की जाएगी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 606/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना रामकोट जनपद सीतापुर।

अभियुक्तों का नाम/पता-

1. सुजीत पुत्र सोबरन निवासी गद्दीपुर थाना कोतवाली देहात सीतापुर।
2. कुलदीप पुत्र सोबरन निवासी गद्दीपुर थाना कोतवाली देहात सीतापुर।
3. सोबरन पुत्र जगनू निवासी गद्दीपुर थाना कोतवाली देहात सीतापुर।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त सुजीत उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0स0 109/2020 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम थाना रामकोट सीतापुर।
- 2.मु0अ0स0 579/2022 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम थाना रामकोट सीतापुर।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त:-मु0अ0स0 109/2020 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम थाना रामकोट सीतापुर।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त सोबरन उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0स0 1345/2009 धारा 60 EX. ACT थाना रामकोट सीतापुर।
- 2.मु0अ0स0 1087/2010 धारा 25(1-B) A. ACT थाना कोतवाली नगर सीतापुर।
- 3.मु0अ0स0 149/2011 धारा 60 EX. ACT थाना कोतवाली नगर सीतापुर।
- 4.मु0अ0स0 540/2011 धारा 60 EX. ACT थाना कोतवाली नगर सीतापुर।
- 5.मु0अ0स0 031/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली नगर सीतापुर।
- 6.मु0अ0स0 244/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली नगर सीतापुर।
- 7.मु0अ0स0 642/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली नगर सीतापुर।
- 8.मु0अ0स0 84/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली नगर सीतापुर।
- 9.मु0अ0स0 548/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली नगर सीतापुर।
- 10.मु0अ0स0 01/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली देहात सीतापुर।
- 11.मु0अ0स0 401/2021 धारा 60(2)आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली देहात सीतापुर।
- 12.मु0अ0स0 416/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली देहात सीतापुर।
- 13.मु0अ0स0 232/2022 धारा 25(1-B) A. ACT थाना रामकोट सीतापुर।
- 14.मु0अ0स0 579/2022 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम थाना रामकोट सीतापुर।

थाना कमलापुर- थाना कमलापुर पुलिस द्वारा लूट/चोरी/नकबजनी जैसे अपराधों में संलिप्त 02 अभियुक्तों 1.सुधीर गुप्ता पुत्र ब्रजकिशोर गुप्ता निवासी विक्रमपुर सरैया थाना कमलापुर सीतापुर 2.सनी पुत्र सन्तोष निवासी सरवां थाना सिधौली सीतापुर के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। थाना कमलापुर द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर मु0अ0सं0 447/22 धारा 2(b)(i)/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त शातिर अपराधी है,जिनके विरुद्ध उक्त आपराधिक कृत्यों के संबंध में अभियोग पंजीकृत है। संलिप्त

अभियुक्तगण की अपराध से अर्जित सम्पत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही अलग से की जाएगी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 447/22 धारा 2(b)(i)/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना कमलापुर जनपद सीतापुर।

अभियुक्तों का नाम/पता-

1. सुधीर गुप्ता पुत्र ब्रजकिशोर गुप्ता निवासी विक्रमपुर सरैया थाना कमलापुर सीतापुर।
2. सनी पुत्र सन्तोष निवासी सरवां थाना सिधौली सीतापुर।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त सुधीर व सुनी उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 613/18 धारा 392/411 भादवि थाना बक्शी का तलाब जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 751/18 धारा 392/411 भादवि थाना बक्शी का तालाब जनपद लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 19/19 धारा 41/411 भादवि थाना बक्शी का तालाब जनपद लखनऊ।